



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26541 वर्ष 2026

अरविंद कुमार शर्मा

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आन्या वर्मा, आलोक सक्सेना

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : अभिषेक द्विवेदी, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- मुखबिर की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित शर्मा और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी की दलीलें सुनीं।
- यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को धारा 103(1) और 61(2) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन खुर्जा नगर, जिला बुलंदशहर में अपराध संख्या 643/2026 में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का सगा भतीजा (भंजा) है और झूठे आरोपों के आधार पर उसे अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि आरोप के अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी अनिल शर्मा और संतोष देवी की मृतक से संपत्ति को लेकर दुश्मनी थी और इसलिए उन्होंने साजिश रचकर मृतक की हत्या कर दी।
- उन्होंने आगे कहा कि मात्र संदेह और पूर्व शत्रुता के आधार पर धारा 61(2) की सहायता से बीएनएस आवेदक को सह-आरोपी संतोष देवी के साथ वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद सह-आरोपी संतोष देवी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.7.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25631/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि केवल संदेह और मकसद के आधार पर, बिना किसी ठोस और पुख्ता सबूत के, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।
- उन्होंने आगे कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो आवेदक को इस अपराध से जोड़ सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 19.7.2026 से जेल में है।

11. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वास्तव में आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि यह मामला भी मुखबिर पक्ष द्वारा दायर किया गया था।

12. वे आवेदक के लिए विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

14. हालांकि, वर्तमान मामले में, आवेदक 19.7.2026 से ही जेल में है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 61(2) बीएनएस की सहायता से केवल संदेह के आधार पर ही उसे अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया है और संदेह के अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में दम पाता है कि केवल पूर्व शत्रुता और संदेह के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

15. इसके अलावा, यह भी दर्शाता है कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद सह-आरोपी संतोष देवी को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जहां तक आरोपों और शत्रुता का संबंध है, आवेदक का मामला उसके समान ही है।

16. इसके अलावा, हालांकि यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह मामला भी मुखबिर पक्ष द्वारा दर्ज किया गया था।

17. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19. आवेदक- **अरविंद कुमार शर्मा** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए, या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)